राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. आपराधिक पुनरीक्षण याचिका संख्या 1394/2023

धर्मपाल सहारण पुत्र श्री मगा राम सहारण, उम्र लगभग 62 वर्ष, निवासी ढाणा पट्टा सत्यू तहसील तारानगर जिला चूरू

----अपीलार्थी

बनाम

1. पीपी के माध्यम से राजस्थान राज्य
2. मनसुख राम पुत्र रामकुमार, निवासी धना पट्टा, सत्यू तहसील तारानगर, जिला चूरू
3. दरिया सिंह पुत्र रामकुमार, निवासी धन्ना पट्टा, सत्यू तहसील तारानगर, जिला चुरू

----प्रतिवादीगण

अपीलार्थी(गण) के लिए	:	श्री आरएस चौधरी श्री जेके सुथार
प्रतिवादी(गण) के लिए	:	सुश्री अनीता गहलोत, पीपी श्री मुकेश माहेश्वरी श्री आईदान चौधरी

माननीय श्री न्यायमूर्ति मनोज कुमार गर्ग

आदेश

रिपोर्ट करने योग्य

26/02/2024 को सुरक्षित रखा गया

निर्णय सुनाए जाने की तिथि: 29.02.2024

विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, तारानगर, जिला चूरू द्वारा सत्र प्रकरण संख्या 11/2023 में पारित दिनांक 23.08.2023 के आदेश के विरुद्ध याचिकाकर्ता द्वारा धारा 397/401 सीआरपीसी के तहत तत्काल आपराधिक पुनरीक्षण याचिका

दायर की गई है, जिसके तहत विद्वान न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता द्वारा धारा 193 सीआरपीसी के तहत दायर आवेदन को खारिज कर दिया था।

मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि 08.09.2022 को याचिकाकर्ता ने एसएचओ, पीएस तारानगर के समक्ष एक शिकायत प्रस्तुत की, जिसमें आरोप लगाया गया कि उसका बेटा राजेंद्र कुमार गांव में किराने की दुकान चलाता था। आरोपी व्यक्ति विनोद उर्फ छगन, मनसुख और दरिया सिंह याचिकाकर्ता के बेटे के साथ पैसे के लेन-देन को लेकर दुश्मनी रखते थे। आरोप है कि कुछ दिन पहले आरोपी व्यक्ति याचिकाकर्ता के बेटे की दुकान पर आए और पैसे की मांग की। उनके बीच कुछ गरमागरम बहस हुई और परिवार के सदस्यों के हस्तक्षेप पर, आरोपी व्यक्ति याचिकाकर्ता के बेटे को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देते हुए दुकान से चले गए। आगे आरोप लगाया गया है कि आज यानी 08.09.2022 को शाम 6:30 बजे जब याचिकाकर्ता अपने छोटे बेटे बेगराज के साथ घर के बाहर बैठा था, तो उन्हें अचानक गोली चलने की आवाज सुनाई दी। जिस पर उन्होंने आरोपी व्यक्तियों विनोद उर्फ छगन, मनसुख और दरिया सिंह को दो अन्य व्यक्तियों के साथ दुकान की ओर खड़े देखा। आरोपी विनोद उर्फ छगन और मनसुख के हाथ में पिस्तौल थी और वे लगातार याचिकाकर्ता के बेटे राजेंद्र पर फायरिंग कर रहे थे, जो दुकान में बैठा था। याचिकाकर्ता अपने परिवार के सदस्यों के साथ दुकान की ओर भागा, जिस पर आरोपी भाग गए। याचिकाकर्ता अपने बेटे को सरकारी अस्पताल, तारानगर ले गया और इलाज के दौरान उसके बेटे की मौत हो गई।

उक्त शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गहन जांच के बाद पुलिस ने केवल आरोपी विनोद उर्फ छगन के खिलाफ धारा 302 आईपीसी और शस्त्र अधिनियम की धारा 3/25, 27 के तहत सक्षम न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया है। इसके बाद, विद्वान ट्रायल कोर्ट ने आरोपी व्यक्ति के खिलाफ संज्ञान लिया और मामले को विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, तारानगर, जिला चूरू की अदालत के समक्ष सुनवाई के लिए सौंप दिया, जहां याचिकाकर्ता ने आरोपी-प्रतिवादी संख्या 2 और 3 के खिलाफ संज्ञान लेने के लिए धारा 193 सीआरपीसी के तहत एक आवेदन पेश किया और दिनांक 23.08.2023 के आदेश के तहत, विद्वान ट्रायल कोर्ट ने याचिकाकर्ता के आवेदन को खारिज कर दिया। इसलिए, यह पुनरीक्षण याचिका।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए अधिवक्ता श्री आर.एस. चौधरी ने दलील दी कि एफआईआर में याचिकाकर्ता/शिकायतकर्ता, जो घटना का प्रत्यक्षदर्शी था, ने विशेष रूप से आरोपी विनोद उर्फ छगन और प्रतिवादी संख्या 2 और 3 अर्थात्

मनसुख राम और दरिया सिंह का नाम लिया है। वकील ने आगे कहा कि मामले के अन्य चश्मदीद गवाह कृष्ण कुमार, बेगराज, राजेंद्र और श्रीमती मीरा ने भी अपने बयानों में आरोपी-प्रतिवादी नंबर 2 और 3 का नाम लिया था, लेकिन पुलिस ने उनके बयानों को सही परिप्रेक्ष्य में दर्ज नहीं किया। वकील ने आगे कहा कि चूंकि पुलिस मामले की निष्पक्ष जांच नहीं कर रही थी, इसलिए उक्त चश्मदीद गवाह कृष्ण कुमार ने पुलिस अधीक्षक, चूरू के समक्ष अपना हलफनामा पेश किया। वकील ने कहा कि पुलिस ने आरोपी विनोद उर्फ छगन के इकबालिया बयान के आधार पर आरोपी प्रतिवादी संख्या 2 और 3 को दोषमुक्त कर दिया, जिसमें उसने कहा था कि आरोपी प्रतिवादी संख्या 2 और 3 घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे। वकील ने कहा कि इस स्तर पर, आरोपी विनोद उर्फ छगन का इकबालिया बयान बिल्कुल भी प्रासंगिक नहीं है, जब स्वतंत्र गवाहों ने विशेष रूप से आरोपी प्रतिवादी संख्या 2 और 3 का नाम लिया है। वकील ने कहा कि आरोपी-प्रतिवादी संख्या 2 और 3 के खिलाफ विशेष आरोप के बावजूद, विद्वान ट्रायल कोर्ट ने उनके खिलाफ संज्ञान नहीं लिया। इस प्रकार, विद्वान ट्रायल कोर्ट का निष्कर्ष बिल्कुल गलत है और आक्षेपित आदेश को रद्द और अपास्त किया जाना चाहिए। वकील ने बलवीर सिंह एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य [एआईआर 2016 एससी 2266] और धर्म पाल एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य [एआईआर 2013 एससी 3018] के मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का हवाला दिया है, साथ ही सीता बनाम राज्य एवं अन्य, एसबी सीआर संशोधन संख्या 488/2017, 01.02.2018 को तय और दिलीप कुमार उर्फ दीपू उर्फ दीपक मीना बनाम राज्य एवं अन्य, एसबी सीआर संशोधन याचिका संख्या 979/2022, 13.07.2022 को तय मामलों में इस न्यायालय के निर्णयों का हवाला दिया है।

इसके विपरीत, प्रतिवादी संख्या 2 और 3 की ओर से उपस्थित वकील श्री मुकेश माहेश्वरी ने प्रस्तुत किया कि जांच के दौरान, पुलिस ने आरोपियों के कॉल विवरण, उनकी लोकेशन जैसे साक्ष्य एकत्र किए और सह-आरोपी विनोद उर्फ छगन का इकबालिया बयान भी दर्ज किया और गहन जांच के बाद, पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंची कि केवल सह-आरोपी विनोद उर्फ छगन ही घटना स्थल पर मौजूद था और आरोपी-प्रतिवादी संख्या 2 और 3 मौजूद नहीं थे और तदनुसार, उनके खिलाफ एफआर दायर की गई। वकील ने आगे कहा कि गवाह दलवीर सिंह और बलवीर सिंह ने धारा 161 सीआरपीसी के तहत दर्ज अपने बयानों में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि उन्होंने ग्रामीणों से सुना कि आरोपी विनोद उर्फ छगन ने मृतक राजेंद्र पर गोली चलाई थी, न कि आरोपी-प्रतिवादी नंबर 2 और 3 ने। वकील ने दलील दी कि मामले के सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद विद्वान ट्रायल कोर्ट ने

याचिकाकर्ता/शिकायतकर्ता द्वारा दायर आवेदन को सही तरीके से खारिज कर दिया है और विद्वान ट्रायल कोर्ट के निष्कर्ष में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपने तर्कों के समर्थन में, वकील ने बरकत अली उर्फ बक्की बनाम राजस्थान राज्य [(2012) 2 क्रि. एलआर 628] के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले और 14.12.2012 को तय एसबी क्रि. संशोधन याचिका संख्या 332/2012, गुड्डी देवी बनाम राज्य और अन्य एवं 10.09.2021 को तय एसबी क्रि. संशोधन याचिका संख्या 2573/2019, बृजेंद्र सिंह बनाम राज्य और अन्य, मामलों में इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा किया है।

पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया तथा आक्षेपित आदेश का अवलोकन किया गया, साथ ही अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री तथा अधिवक्ता द्वारा उद्धृत निर्णयों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया।

याचिकाकर्ता-शिकायतकर्ता धर्मपाल द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर में उन्होंने विशेष रूप से आरोप लगाया कि मुख्य आरोपी विनोद उर्फ छगन और प्रतिवादी संख्या 2 और 3 अर्थात् मनसुख राम और दरिया सिंह उसके बेटे राजेंद्र की दुकान पर आए। आरोपी विनोद उर्फ छगन और मनसुख राम के हाथ में पिस्तौल थी और उन्होंने राजेंद्र पर गोली चला दी और उसकी हत्या कर दी। याचिकाकर्ता-शिकायतकर्ता धर्मपाल ने 09.09.2022 को धारा 161 सीआरपीसी के तहत दर्ज अपने बयान में आरोपी-प्रतिवादी नंबर 2 और 3 का भी नाम लिया। एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी कृष्ण कुमार ने भी धारा 161 सीआरपीसी के तहत दर्ज अपने बयान में बताया कि घटना के समय वह मृतक राजेंद्र की दुकान पर मौजूद था। उसने बताया कि आरोपी विनोद उर्फ छगन राजेंद्र की दुकान पर आया और उसे गोली मारकर भाग गया, कार में पहले से ही 3-4 व्यक्ति मौजूद थे। इसके बाद, उक्त चश्मदीद गवाह कृष्ण कुमार ने एस.पी., चूरू के समक्ष एक हलफनामा दायर किया कि मुख्य आरोपी विनोद उर्फ छगन 3-4 व्यक्तियों के साथ घटनास्थल पर मौजूद था। एक अन्य चश्मदीद गवाह बेगराज ने भी मृतक को चोट पहुंचाने के लिए आरोपी प्रतिवादी संख्या 2 और 3 का नाम लिया। गवाह रामजीलाल ने भी यही कहानी बताई। गवाह मीरा उर्फ सुनीता और राजेंद्र ने भी अपने बयानों में प्रतिवादी संख्या 2 और 3 का नाम लिया।

उपरोक्त प्रत्यक्षदर्शी और अन्य गवाहों के बयानों के अवलोकन से पता चलता है कि उन्होंने मृतक राजेंद्र को गोली मारने के लिए मुख्य आरोपी विनोद उर्फ छगन और प्रतिवादी संख्या 2 और 3 का नाम लिया है।

प्रतिवादी संख्या 2 और 3 के वकील ने तर्क दिया है कि गवाह दलवीर सिंह और बलवीर सिंह ने अपने बयान में प्रतिवादी संख्या 2 और 3 का नाम नहीं लिया। लेकिन उनके बयानों को देखने पर ऐसा लगता है कि घटना के समय वे मौजूद नहीं थे और उन्होंने ग्रामीणों से सुना कि आरोपी विनोद उर्फ छगन ने मृतक राजेंद्र पर गोली चलाई। ये गवाह मामले के प्रत्यक्षदर्शी नहीं हैं, इसलिए उनके बयानों पर ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता।

पुलिस ने प्रतिवादी संख्या 2 और 3 के खिलाफ एफ आर प्रस्तुत करते हुए पाया है कि आरोपी-प्रतिवादियों की कोई कॉल डिटेल उपलब्ध नहीं थी और उनकी लोकेशन भी घटनास्थल के स्थान से मेल नहीं खाती है। मुख्य आरोपी विनोद उर्फ छगन ने पूछताछ नोट में खुद स्वीकार किया है कि उसने मृतक राजेंद्र पर गोली चलाई थी और उस समय उसके साथ कोई अन्य व्यक्ति नहीं था। पुलिस ने मुख्य आरोपी के इकबालिया बयान पर भरोसा करते हुए आरोपी-प्रतिवादी नंबर 2 और 3 को दोषमुक्त कर दिया है।

इस न्यायालय की राय में, पुलिस ने प्रतिवादी संख्या 2 और 3 के खिलाफ केवल मुख्य आरोपी विनोद उर्फ छगन द्वारा दिए गए इकबालिया बयान के आधार पर एफआर प्रस्तुत की है, जो मामले के चश्मदीद गवाहों द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए विशिष्ट आरोपों के बावजूद इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं है और पुलिस का ऐसा निष्कर्ष पूरी तरह से अवैध है।

याचिकाकर्ता/शिकायतकर्ता के आवेदन को खारिज करते हुए, विद्वान ट्रायल कोर्ट ने केवल पुलिस द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 और 3 के खिलाफ एफआर प्रस्तुत करने के लिए दिए गए निष्कर्ष का उल्लेख किया। ट्रायल कोर्ट ने प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों पर विचार नहीं किया, जिन्होंने विशेष रूप से प्रतिवादी संख्या 2 और 3 का नाम लिया था। संज्ञान लेने के चरण में, साक्ष्यों की सावधानीपूर्वक चर्चा आवश्यक नहीं है और यदि किसी आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया पर्याप्त सबूत हैं, तो अदालत को आरोपी को ट्रायल के लिए बुलाना चाहिए था। ट्रायल कोर्ट ने बिना सोचे-समझे और यांत्रिक तरीके से आदेश पारित किया है। यांत्रिक प्रकृति का होने के कारण, न्याय के हित में आदेश को रद्द किया जाना चाहिए।

नाहर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, आपराधिक अपील संख्या 443/2022, के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 16.03.2022 को निर्णय दिया कि:

> 12. इस प्रकार की स्थिति में मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र के संबंध में, संविधान पीठ ने धरम पाल (उपरोक्त) मामले में यह माना था:-

"35. हमारे विचार में, मजिस्ट्रेट को धारा 173(2) सीआरपीसी के तहत उनके समक्ष प्रस्तुत पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए मामले को सत्र न्यायालय को सौंपते समय भूमिका निभानी होती है। यदि मजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट से सहमत नहीं है, तो उसके पास दो विकल्प हैं। वह दायर की गई विरोध याचिका के आधार पर कार्रवाई कर सकता है, या वह पुलिस रिपोर्ट से असहमत होते हुए भी प्रक्रिया जारी कर सकता है और आरोपी को समन भेज सकता है। इसके बाद, यदि वह इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि रिपोर्ट के कॉलम 2 में नामित व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए मामला बनाया गया है, तो वह उक्त व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने के लिए आगे बढ़ सकता है या यदि वह इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि ऐसा मामला बनाया गया है जो सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है, तो वह मामले में आगे कार्यवाही करने के लिए मामले को सत्र न्यायालय को सौंप सकता है।

36. यह हमें तीसरे प्रश्न पर ले आता है कि मजिस्ट्रेट द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया क्या होगी यदि वह संतुष्ट हो कि पुलिस द्वारा प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट के बावजूद प्रथम दृष्टया मामला मुकदमे में जाने के लिए तैयार हो गया है। ऐसी स्थिति में, यदि मजिस्ट्रेट ने आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करने का फैसला किया है, तो उसे पुलिस रिपोर्ट के आधार पर ही कार्यवाही करनी होगी और या तो मामले की जांच करनी होगी या यदि सत्र न्यायालय द्वारा इसे सुनवाई योग्य पाया जाता है तो उसे सत्र न्यायालय को सौंपना होगा।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा 20 में आगे कहा है:

"20. रघुवंश दुबे (सुप्रा), एसडब्लूआईएल लिमिटेड (सुप्रा) और धर्मपाल (सुप्रा) के मामलों में, पुलिस रिपोर्ट के आधार पर अपराध का संज्ञान लेने वाले न्यायालय या मजिस्ट्रेट की शक्ति या अधिकारिता का विश्लेषण किया गया है, जिसमें पुलिस रिपोर्ट में नामित न किए गए अभियुक्त को अपराध करने से पहले समन करने की शक्ति या अधिकारिता का विश्लेषण किया गया है। इस बिन्दु पर एकमत दृष्टिकोण, चाहे यह तथ्य हो कि संहिता की धारा 190 के अन्तर्गत मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लिया गया हो या धारा 193 के अन्तर्गत सत्र न्यायालय द्वारा क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया गया हो,

यह है कि उपर्युक्त न्यायिक प्राधिकारियों को तब तक प्रतीक्षा नहीं करनी होगी जब तक मामला उस स्तर पर न पहुंच जाए जब संहिता की धारा 319 के अन्तर्गत क्षेत्राधिकार का प्रयोग किसी व्यक्ति को अभियुक्त के रूप में बुलाने के लिए किया जा सके, लेकिन जिसका नाम पुलिस रिपोर्ट में अभियुक्त के रूप में नहीं है। हमने पहले ही अपनी राय व्यक्त कर दी है कि समन जारी करने का ऐसा अधिकार क्षेत्र ऐसे व्यक्ति के संबंध में भी प्रयोग किया जा सकता है जिसका नाम पुलिस रिपोर्ट में बिल्कुल भी नहीं है, चाहे वह अभियुक्त के रूप में हो या कॉलम (2) में, यदि मजिस्ट्रेट संतुष्ट है कि रिकॉर्ड में ऐसी सामग्री है जो प्रथम दृष्टया अपराध में उसकी संलिप्तता को प्रकट करती है। कोई भी प्राधिकरण मजिस्ट्रेट या सत्र न्यायालय की शक्ति या अधिकार क्षेत्र को सीमित या प्रतिबंधित नहीं करता है, जिसमें वह किसी ऐसे आरोपी को संज्ञान में लेने के लिए बुला सकता है, जिसका नाम एफआईआर या पुलिस रिपोर्ट में शामिल नहीं है।"

उपरोक्त चर्चाओं के मद्देनजर, पुनरीक्षण याचिका स्वीकार की जाती है। ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित दिनांक 23.08.2023 के आदेश को रद्द किया जाता है और मामले को ट्रायल कोर्ट को वापस भेजा जाता है, जिसमें निर्देश दिया जाता है कि वह अपने समक्ष उपलब्ध सभी भौतिक साक्ष्यों पर विचार करने और दोनों पक्षों को सुनने के बाद कानून के अनुसार नया आदेश पारित करे।

स्थगन याचिका भी निर्णीत की जाती है।

(मनोज कुमार गर्ग),जे

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।